संख्या-93/2769/47-का-3-2014-13/2/2013

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पिकप भवन, पंचम तल, गोमती नगर
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 16 दिसम्बर, 2014**

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-2015 के अंतिम 04 माहों के व्यय के लिए उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-596/47-का-3-2014-13/2/2013, दिनांक 11 अप्रैल, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1869/47-का-3-2014-13/2/2013, दिनांक 30 जुलाई, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के अन्तिम 04 माहों (दिसम्बर, 2014 से माह मार्च, 2015) तक के लिए उ0प्र0 विनियोग अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या-11 सन् 2014) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वेतन भत्तों आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2014-2015 हेतु आय-व्ययक के अन्तर्गत स्वीकृत व्यय के लिए रू0-4,76,71,000/- (रूपया चार करोड़ छिहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष्य अवशेष रू0-2,03,27,000/-(रूपया दो करोड़ तीन लाख सत्ताइस हजार मात्र) की धनराशि जिसका मदवार विवरण निम्नवत है, के व्यय हेतु अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि हजार रूपये में)

मद संख्या एवं मद का नाम	बजट साहित्य के पृष्ठ-11/12 के अनुसार स्वीकृत कुल धनराशि	08 माह (अप्रैल, 2014 से नवम्बर, 2014 तक अवमुक्त की गयी धनराशि	अवशेष चार माह (दिसम्बर, 2014 से मार्च, 2015 तक) के लिए अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
01- वेतन	20200	11683	8517
02- मजदूरी	10	5	5
03- मंहगाई भत्ता	21210	12188	9022
04- यात्रा व्यय	100	54	46
05- स्थानान्तरण व्यय	1	-	1
06- अन्य भत्ते	3300	190	190
07- मानदेय	10	5	5
08- कार्यालय व्यय	300	155	145
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	200	102	98
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500	250	250
13- टेलीफोन व्यय	100	52	48
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	120	80	40
16- व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	120	80	40
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	500	250	250

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

29- अनुरक्षण	100	50	50
45- अवकाश यात्रा व्यय	50	30	20
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	500	250	250
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	50	27	23
49- चिकित्सा व्यय	300	183	117
योग	**47671**	**27344**	**20327**
(रूपये दो करोड़ तीन लाख सत्ताईस हजार मात्र)			

2- विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत/ उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में उक्त धनराशि का उपयोग वर्ष 2014-2015 की नयी मदों के कार्यान्वयन के लिए नही किया जायेगा।

3- स्वीकृत व्यय पूरा करने के लिए प्रदेशनों (एलाटमेंट्स) में से धनराशि का विनियोग बजट मैनुअल के सम्बद्ध नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा। धनराशि का प्रदेशन मात्र से ऐसा व्यय करने का कोई अधिकार नही होगा, जिसे करने के लिए बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के अन्तर्गत जहॉ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता हो, व्यय करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किए गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मि0-1/2004, दिनांक 07.01.2005 का विशेष रूप से पालन किया जाए।

6- उपर्युक्त व्यय अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2051-लोक सेवा आयोग-103-कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03 उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अन्तर्गत संसुगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-93/2769(1)/47-का-3-2014-13/2/2013, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महोलखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5.
(7) वितत (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2.
(8) नियुक्ति अनुभाग-6 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in